पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 129/2020

1. बन्शीलाल पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
2. बलवीर पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।

:— वादीगण

ब ना म

1. प्रभूराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
2. राजबाला पुत्री प्रभूराम जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बेनिवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विनोद शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण [illegible] राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गढडा के खाता सं 96/94 के खसरा सं 15 की 2.694है0 खसरा सं 438 की 13.468है0 कुल 16.162है0 में प्रतिवादी सं 1 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं 1 प्रभूराम का नाम कलमजन कर वादीगण को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 व 2 ने अपने हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 बन्शीलाल व वादी सं 2 बलवीर को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक)भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 129/2020

अनवान :

1. बन्शीलाल पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
2. बलवीर पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।

:— **वादीगण**

ब ना म

1. प्रभूराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
2. राजबाला पुत्री प्रभूराम जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बेनिवाल **: वादी**
वकील श्री विनोद शर्मा **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 21.12.2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा गढडा के खाता सं 96/94 के खसरा सं 15 की 2.694है0 खसरा सं 438 की 13.468है0 कुल 16.162है0 में प्रतिवादी सं 1 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता धन्नाराम की खातेदारी हुआ करती थी। धन्नाराम के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 प्रभूराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने [illegible] वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं 3 को तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने [illegible] की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:08 IST
Reason: Self Attested

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु बन्शीलाल पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी गढडा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम गढडा प्रदर्श 1 जमाबंदी गढडा खाता सं 88/86 प्रदर्श 2 जमाबंदी ग्रम भाडी प्रदर्श 3 जमाबंदी खतौनी प्रदर्श 4 व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम गढडा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 5 में वारिसप्रमाण पत्र में अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि के अलावा रोही मौजा गढडा के खाता सं 88/86 के खसरा सं 164, 426, 427, 429, 450, 451, 452, 453, 453/510, 455, 456, 457, 468 की कुल 43.137है0 बारानी में प्रतिवादी सं 1 के नाम 160 हिस्सा व रोही भाडी के खसरा सं 633 की 4.137है0 भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसे प्रतिवादी सं 1 के नाम यथावत रखते हुए रोही मौजा गढडा की वाद भूमि में प्रतिवादी सं 1 का नाम कलमजन कर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गढडा के खाता सं 96/94 के खसरा सं 15 की 2.694है0 खसरा सं 438 की 13.468है0 कुल 16.162है0 में प्रतिवादी सं 1 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं 1 प्रभूराम का नाम कलमजन कर वादीगण को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 बन्शीलाल व वादी सं 2 बलवीर को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:08 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner